न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	: श्री जनक सिंह (आरएएस)
मुकदमा नं0	: 56 / 2022
प्रकरण दर्ज दिनांक	: 07.06.2022
प्रकरण निस्तारण दिनांक	: 14.06.2022

उनवानी प्रकरण

1. रघुवीर प्रसाद
2. रामकल्याण
3. विजयसिंह

पुत्र श्री सुवालाल जाति गुर्जर निवासी रेटा तह0 सिकराय

– प्रार्थीगण

बनाम

2. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

पत्रावली अधिवक्ता श्री राजेश कसाना एड0 द्वारा पेश की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी आराजी खसरा नम्बर 212, 215 वाके ग्राम रेटा तहसील सिकराय में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अर्से बजमाने बुर्जगान से काश्त कर मुफिद होते चले आ रहे है। मुतदाविया भूमि के आस पास पडौसी काश्तकारान जो कि प्रार्थीगण के असहाय व गरीबी व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्राथीगण की भूमि को दबाने की कोशिश में लगें रहते है एवं डोल/मेड को तोडते रहते है। ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया की पत्थर गढ़ी करवाया जाना आवश्यक है इस प्रकार का आदेश प्रार्थी न्यायलय से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपतहसीलदार सिकन्दरा से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। उक्त खेत का सीमाज्ञान उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा 14.05.2022 को किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा को दिनांक 17.05.2022 को किए गए सीमाज्ञान के अनुसार वाके ग्राम रेटा तहसील सिकराय में स्थित प्रार्थीगण की भूमी खसरा नम्बर 212, 215 पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। उप तहसीलदार सिकन्दरा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपतहसीलदार सिकन्दरा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जनक सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय